

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2212

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में विरासत और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन परिपथ

2212 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में, विशेष रूप से तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में, सतत, विरासत और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन परिपथों के विस्तार की संभावनाओं का आकलन किया है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत राज्य को जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (ग) राज्य द्वारा प्रस्तुत लंबित पर्यटन अवसंरचना प्रस्तावों की स्थिति क्या है;
- (घ) क्या नए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण पर्यटन परिपथों के लिए राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी; और
- (ङ) प्रमुख पर्यटन स्थलों में डिजिटल पर्यटन सेवाओं, सुरक्षा मानकों और अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): सतत, विरासत, इको-पर्यटन और तटीय परिपथों सहित पर्यटन परिपथों के विकास और पर्यटन के विस्तार की संभावना की पहचान मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा की जाती है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', एसडी 2.0 की एक उप-योजना - 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)', और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)' नामक केंद्रीय क्षेत्र की अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुति, निधि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता आदि के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना विकास के उनके प्रयासों को संपूरित करता है।

तमिलनाडु राज्य में पर्यटन मंत्रालय की उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में है।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति और मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अलावा, सीबीडीडी योजना के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने दिनांक 07.03.2025 की अपनी बैठक में 'बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर के लिए सुविधाओं में वृद्धि' के प्रस्ताव पर विचार किया और तमिलनाडु राज्य सरकार को प्रासंगिक क्लीयरेंस प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से नया रूप दिया है, जिसका उद्देश्य देश में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना, पूर्व के परिपथ-आधारित ढांचे के स्थान पर गंतव्य और पर्यटन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है।

पर्यटन मंत्रालय डिजिटल पर्यटन सेवाओं, आगंतुक सुरक्षा और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार पर बल देते हुए तटीय और डेल्टा क्षेत्रों सहित गंतव्यों की पहचान करने और विकसित करने के लिए नियमित रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रोत्साहित करता है।

श्री एस. कल्याणसुन्दरम द्वारा तमिलनाडु में विरासत और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन परिपथ के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 2212 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में विवरण

(i) तमिलनाडु राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	प्राधिकृत/जारी राशि
1.	तटीय परिपथ 2016-17	(चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - कन्याकुमारी) का विकास	73.13	71.03

(ii) तमिलनाडु राज्य में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	गंतव्य	एक्सपीरियंस का नाम	स्वीकृत राशि	प्राधिकृत राशि
1.	2023-24	मामल्लापुरम	शोर मंदिर में इमर्सिव एक्सपीरियंस	30.02	--

(iii) तमिलनाडु राज्य में चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) योजना के तहत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	श्रेणी	स्वीकृत राशि	प्राधिकृत राशि
1.	2024-25	रामेश्वरम का प्रतीकात्मक परिवर्तन	आध्यात्मिक पर्यटन	20.01	2.00

(iv) तमिलनाडु राज्य में तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1.	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99	13.99
2.	वेलंकन्नी का विकास	2016-17	4.86	4.86
3.	8 नवग्रह मंदिरों का विकास	2024-25	40.94	-
